mines. The workers will also face a lot of problems.

In view of this, I urge the Government of India to open the headquarters of the Gandhamardan bauxite project at Harishankar or Paikmal in Orissa.

(iii) NEED TO TAKE EFFECTIVE MEASURES AGAINST LOOTING OF BANKS

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी गढ़वाल) : मान्यवर, देश के बैंकों का जब से राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से बराबर चोरियां, डकैतियां एवं घोटालों के मामले हजारों की तादाद में सरकार के सामने आये हैं लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी कारगर कदम सरकार ने अभी तक नहीं उठाया है। पिछले वर्ष सरकारी बैंको की 70 शाखाओं में डाके पड़े और डकैत उप-वित्त मंत्री के अनुसार डेढ़ करोड़ रुपए और नगदी लूट ले गये। हर वर्ष बैंक डकैतियां एवं चोरियां बढ़ती ही जा रही हैं। तब यह कैसे मान लिया जाये कि बैंकों की डकैतियां रोकने के लिए सरकार सतर्कता बरत रही है। क्या अन्धाधुन्ध कमाई करने वाले बैंकों के लिए यह सम्भव नहीं है कि बही खाते लिखने वाले दर्जनों कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ-साथ एक दो उनकी रक्षा के लिए गार्डों की भी नियुक्ति करें ? यह करना चाहिये। कई बैंकों में डकैतियां ऐसी पड़ी हैं जिनसे पता चलता है कि बैंक कर्मचारियों की ओर से डकैतों को प्रत्यक्ष या परोक्ष सह देने की सम्भावना है। जहां कोई आदमी जा नहीं सकता वहां अनजाने डकैत कैसे पहुंच कर डकैती डाल कर चले जाते हैं। और यह डकैत उसी समय आते हैं जब बैंक में ग्राहक नहीं होते हैं।

दूसरी तरह से भी बैंकों से धन लूटा जा रहा है फर्जी कागजातों के बल करोड़ों रुपयों का घपला किया जा रहा है। बैंकों को बाहरी एवं अन्दरूनी दोनों तरह की सुरक्षा की आवश्यकता है जिसका ताजा उदाहरण अभी हाल में एक बैंक में दो करोड़ रुपए की हेराफेरी का पता चला है जिसमें बैंक के एक अधिकारी का ही दोष है। यह लोक महत्व का मामला है इस पर सरकार को तुरन्त कार्यवाही करने से कतराना नहीं चाहिये।

(iv) ACCIDENTS IN SAUNDA COLLIERY IN BIHAR AND COMPENSATION TO HEIRS OF THE DECEASED.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): उपाध्यक्ष महोदय बिहार के हजारीबाग जिलान्तर्गत सौंदा कोलियरी में श्रमिक संगठन के मांग एवं आन्दोलन करने के बावजूद भी मैनेजमेंट द्वारा खान-सुरक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है' फलस्वरूप बराबर खान-दुर्घटनायें घट रही हैं और मजदूर मर रहे हैं।

एक घटना 16-7-82 को घटी जिसमें एक मजदूर मारा गया, जब कि उस घटना के पहले ही 12-7-82 को मजदूरों ने प्रदर्शन कर खान सुरक्षा की मांग की थी। बजाय खान सुरक्षा पर ध्यान देने के मैनेजमेंट ने यूनियन के सचिव को निलम्बित कर दिया। पुनः 16-8-82 को दूसरी घटना घट गई और उसमें भी मजदूर मरे।

उस घटना के पहले भी मजदूरों ने लिखकर दिया था कि घटना घटी सकती है। उसके बाद पुनः घटना घटी जिसमें एक मजदूर मारा गया। अभी ताजी घटना 18-3-83 को घटी, जिसमें एक मजदूर मर गया और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। उसकी भी हालत चिन्ताजनक है। मैं 19-3-83 को वहां गया था। मजदूरों ने मुझे बताया कि वे लोग खान की स्थिति को देखकर काम पर जाने से इन्कार कर दिये थे लेकिन मैनेजमेंट ने जबर्दस्ती दबाव डालकर मजदूरों

[श्री राम विलास पासवान]

को काम पर भेजा और दुर्घटना घटी। आम मजदूरों में इस घटना एवं सुरक्षा को लेकर काफी रोष है।

अतः सरकार से मांग है कि सरकार खान सुरक्षा हेतु कारगर कदम उठायें। मृत मजदूरों के परिवारों को एक लाख रुपया मुआवजा दे तथा दोषी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे।

13.22 hrs.

STATUTORY RESOLUTION *RE*: DISAPPROVAL OF DELHI ADMINISTRATION (AMENDMENT) ORDINANCE, DELHI ADMINISTRATION (AMENDMET) BILL, AND DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Next item. Shri G. L. Vyas, you have already taken 5 minutes yesterday. The time left is only 20 minutes You have to conclude within 5 minutes now.

SHRI GIRDHARI LAL VYAS (Bhilwara): Sir, 10 minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Then, you must come here and I will go there.

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बी० जे० पी० के बारे में जिक्र कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए बड़ा हल्ला मचाया कि दिल्ली में चुनाव नहीं कराते, कांग्रेस के लोग डरते हैं। जब चुनाव कराया गया तो बी० जे० पी० का क्या हाल हुआ, जैसे अभी यहां पर है--एक भी बी० जे० पी० का सदस्य यहां मौजूद नहीं है।

श्री बाबू राव परांजपे (जबलपुर) : मैं यहां बैठा हुआ हूं बी० जे० पी० की तरफ से।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इन्होंने रेजूलेशन रखा है और अब विरोध करते हैं, लेकिन इनके विरोध में कोई तथ्य नहीं है। श्री शेजवालकर जी ने विरोध करते हुए कहा है कि बिना डी-लिमिटेशन किये गलत तरीके से यहां चुनाव करा दिया। उस बारे में हमारे माननीय मंत्री महोदय ने बिल्कुल साफ कहा है कि संविधान अमेंडमेंट आर्टिकल 42, जिसके जरिये मांग की गई है, वह सारे प्रदेशों के लिए है, 2000 तक हम किसी प्रकार का कोई डि-लिमिटेशन नहीं करेंगे। तो क्या दिल्ली हिन्दुस्तान से अलग है जिससे कि डि-लिमिटेशन कर दिया जाये ? इसीलिए डि-लिमिटेशन नहीं किया गया। उनकी मांग के अनुसार ही यहां पर जल्दी से जल्दी चुनाव कराये गये हैं।

यहां सी० पी० आई०, सी० पी० एम०, लोकदल आदि सब पार्टी के लोग बैठे हुये हैं। इन पार्टियों के अलग-अलग टुकड़े हो चुके हैं, वह सब लोग जितने भी अलग-अलग थे जो कि अपने आपको सोशलिस्ट मानते थे, मजदुरों और गरीबों का मसीहा मानते थे, वह सब एकजुट होकर मैदान में आये, मगर ये लोग ऐसे डाउन हुये कि आज इनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। दिल्ली मैट्रोपोलिटन काउन्सिल और दिल्ली कारपोरेशन में एक भी प्रतिनिधि इनका नहीं गया। इस तरीके की हालत इन राजनीतिक पार्टियों की है।

ऐसी अवस्था में हमारी सरकार ने जो कुछ भी कदम उठाये हैं, वह जनता के हित में ही उठाये हैं। जनता को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देकर उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यह किया है।

मैं माननीय मंत्री मोहदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि दिल्ली में डी० डी० ए०